



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122022-241472  
CG-DL-E-29122022-241472

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5866]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 29, 2022/पौष 8, 1944

No. 5866]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 29, 2022/PAUSHA 8, 1944

रसायन और उर्वरक मंत्रालय  
(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)  
आदेश  
नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2022

का.आ. 6109(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 24 दिसंबर, 2021 में प्रकाशित एथिलीन ग्लाइकोल (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2021 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात यह राय है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम एथिलीन ग्लाइकोल (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2022 है।  
(2) यह तारीख 28 मार्च, 2023 को प्रवृत्त होगा।  
(3) यह नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुओं पर लागू होगा और ऐसे माल या वस्तुओं पर लागू नहीं होगा जो निर्यात के लिए बनी हैं।
- मानकों के साथ अनुरूपता और मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग- उक्त सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुएं, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में भारतीय मानक का नाम धारण करते हुए सारणी के स्तंभ (2) में दिए गए संगत भारतीय मानक के अनुरूप होगी और भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-2 की स्कीम-1 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो की किसी अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न धारण करेंगी।

3. **प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी-** उक्त सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट मालों या वस्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकारी होगा।
4. **उल्लंघन के लिए शास्ति-** कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन करता है, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।
5. **भारतीय मानकों में संशोधन के प्रभावी होने की तारीख-** यह आदेश इस निमित्त ब्यूरो द्वारा अधिसूचित तिथि से प्रभावी उक्त सारणी के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट भारतीय मानकों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा किए गए किसी भी संशोधन पर लागू होगा।

**सारणी**

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक का नाम
(1)	(2)	(3)
एथिलीन ग्लाइकॉल	आईएस 5295:1985	एथिलीन ग्लाइकॉल के लिए विनिर्देश

**टिप्पण:** सारणी के प्रयोजनार्थ, भारतीय मानक ब्यूरो का नवीनतम संस्करण, जिसके अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर जारी किए गये और अधिसूचित किये गये इसके संशोधन भी हैं, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।

[फा. सं. 46016/6/2020-टेक-सीपीसी-भाग 2]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**

**(Department of Chemicals and Petrochemicals)**

**ORDER**

New Delhi, the 28th December, 2022

**S.O. 6109(E).**—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), (hereinafter referred to as the said Act) and in supersession of the Ethylene Glycol (Quality Control) Order, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 24<sup>th</sup> December, 2021, except as respect, things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

**1. Short title, commencement and application.** — (1) This Order may be called the Ethylene Glycol (Quality Control) Order, 2022.

(2) It shall come into force on the 28<sup>th</sup> day of March, 2023.

(3) It shall apply to goods or article specified in column (1) of the Table below and shall not apply to such goods or article meant for export.

**2. Conformity to standards and compulsory use of Standard Mark.** -Goods or article specified in column (1) of the said Table shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (2) bearing the title of the Indian Standard in column (3) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018.

**3. Certification and enforcement authority.**-In respect of the goods or article specified in column (1) of the said Table, the Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority.

**4. Penalty for contravention.** -Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the said Act.

**5. Date of effect of amendment in Indian Standards.** – This Order shall apply to any amendment made by the Bureau of Indian Standards to the Indian Standard specified in column (2) of the said Table with effect from the date notified by the Bureau of Indian Standards in this behalf.

**TABLE**

<b>Goods or article</b>	<b>Indian Standard</b>	<b>Title for Indian Standard</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Ethylene Glycol	IS 5295:1985	Specification for Ethylene Glycol

**Note:** For the purposes of the Table, the latest version of the Indian Standards including the amendments issued thereof and notified by the Bureau of Indian Standards from time to time, shall apply from the date of such notification.

[F. No. 46016/6/2020-Tech.CPC- Pt. 2]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.